146 III/निग०/उमरिया/2017/4244

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर लिंक कोर्ट रीवा म.प्र.

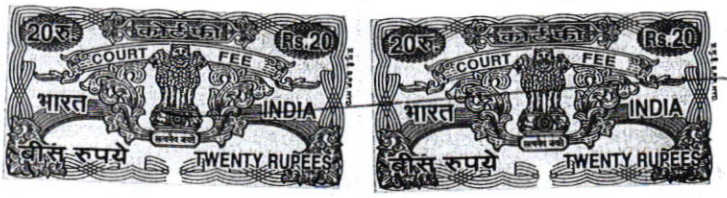

Rs 401.

अशोक कुमार यादव उम्र 28 वर्ष पिता शिवदास यादव निवासी ग्राम भरौला तह. बांधवगढ़ जिला उमरिया म.प्र. ....**निगरानीकर्ता**

बनाम्

किशोरी यादव पिता भेदी यादव निवासी ग्राम भरौला तह. बांधवगढ़ थाना उमरिया जिला उमरिया म.प्र. ....**गैरनिगरानीकर्ता**

निगरानी अंतर्गत धारा 51 (1) म.प्र.भू.रा.सं. 1959 ई.

निगरानी विरूद्ध तहसीलदार बांधवगढ़ राजस्व निरीक्षक मंडल उमरिया के राजस्व प्र.क. 26/अ 12/2015–16 आदेश दिनांक 12.11.2015

अधि० श्री ... द्वारा पेश / 6.11.2017

मान्यवर,

निगरानी का संक्षिप्त सार निम्नांकित है–

यह कि आराजी खसरा नं. 58/1 व 57/1 की भूमि पुस्तैनी निगरानीकर्ता की है जिसके सीमांकन के लिए निगरानीकर्ता के द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा निगरानीकर्ता की भूमि का सीमांकन नहीं किया गया व निगरानीकर्ता के ठीक बगल में 58/3 की भूमि का सीमांकन किया गया जिसमें निगरनीकर्ता सरहद्दी काश्तकार है व उत्तरदाता निगरानीकर्ता का पड़ोसी है। जिसमें निगरानीकर्ता को किसी भी प्रकार की लिखित व मौखिक सूचना स्थानिय ग्राम के कोटवार, चौकीदार, हल्का पटवारी के द्वारा नहीं दी गयी एवं रात्रि के समय सीमांकन की कार्यवाही की गयी जिसमें उत्तरदाता के पक्ष के ही लोग थे मुझे सीमांकन की जानकारी होने पर मैं सीमांकन स्थल में जाने वाला था तभी उत्तरदाता के द्वारा गाली गलौज दिया गया कि सीमांकन स्थल पर आओगे तो तुम्हें जान से मार दिया जावेगा जिससे भयभीत होकर मैं अपने घर में स्वयं को कैद करके अपनी जा़न बचा रखा था और समय पाकर दिनांक 24.08.2016 को श्रीमान् कलेक्टर महोदय उमरिया के समक्ष अपनी शिकायत प्रस्तुत किया मुझे सीमांकन की किसी भी प्रकार से जानकारी नहीं हो पायी जब उत्तरदाता द्वारा बेदखली का आवेदन न्यायालय तहसीलदार महोदय बांधवगढ़ जिला उमरिया के समक्ष प्रस्तुत किया गया तब जाकर मुसन्ना के साथ सीमांकन पुष्टि दस्तावेज के रूप में मुझे प्राप्त हुआ जिसकी नकल

........2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0III / निगरानी / उमरिया / 2017 / 4214 जिला–उमरिया

अशोक कुमार यादव / किशोरी यादव

(1)	(2)	(3)
23.01.18	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। 3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	